

Haryana Government
Town and Country Planning Department
Notification

Dated 6th March, 2018

T&CP/GMDA/PF-89-III/2018/8059—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Gurugram Metropolitan Development Authority Act, 2017 (34 of 2017) and in partial supersession of the Haryana Government, Town and Country Planning Department notification No. T&CP/GMDA/PF-89-III/2017/19917 dated the 12th August, 2017, the Governor of Haryana hereby appoints the date of publication of this notification in the Official Gazette to be the date on which the provisions of sections 45 and 46 of the said Act shall come into force.

Sd/-
ARUN KUMAR GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana
Town and Country Planning Department

हरियाणा सरकार
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना

दिनांक 06 मार्च, 2018

संख्या T&CP/GMDA/PF-89-III/2018/8059—गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017 (2017 का 34), की धारा 1 के उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए और हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या T&CP/GMDA/PF-89-III/2017/19917, दिनांक 12 अगस्त, 2017 का आंशिक रूप से अधिक्रमण करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि को ऐसी तिथि के रूप में नियत करते हैं जिसको उक्त अधिनियम की धारा 45 तथा 46 के उपबन्ध लागू होंगे ।

हस्त/
अरुण कुमार गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग ।